[मोहम्मद सलीम]

[हिन्दी]

हम जो आजादी की बात कर रहे हैं, हम ऑटोनॉमी की बात कर रहे हैं, हम सम्प्रभुता की बात कर रहे हैं, एक्ट में यह कहा गया है। ये तो हमारी शंकाए हैं। मैं डिटेल में नहीं जाना चाहूंगा। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: अब आप अपनी बात समाप्त करिए।

मोहम्मद सलीम: यह जो स्ट्रैटेजी की हम बात कर रहे हैं। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: यदि आपके पास कोई अच्छे मुद्दे बचे हैं तो उन्हें बताइए।

[हिन्दी]

मोहम्मद सलीम: महोदय, मैं अपना लास्ट प्वाइंट कर रहा हूं। यह जो डैमोक्रेसी की बात कही जा रही है, मैं सिर्फ एग्रीमेंट को रैफर करूंगा। सर, आप घंटी बजाते हैं तो मैं और हड़बड़ा जाता हूं। मैं घबरा जाता हूं।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

पृष्ठ 6 के पैरा 12 में कहा गया है "संसद तथा जनमत को स्वीकार्य होना चाहिए।"

[हिन्दी]

आपके पास यह हथियार है। आप एग्रीमेंट कर रहे हैं। जब अमेरिकी प्रेसीडेंट कह रहे हैं कि उनकी कांग्रेस जब इसकी मंजूरी देगी, तब उनका कानून इसकी मंजूरी देगा तो हमें भी ऐसा करना चाहिए।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: कृपया अब आप समाप्त कीजिए।

मोहम्मद सलीम: सर, पूरे विश्व भर में जब डैमोक्रेसी एक्सपेंड करने के लिए हम यू.एस. के पार्टनर बनेंगे तो हमारे देश के अंदर पार्लियामेंट का जो डैमोक्रेटिक हक हमें मिला है, उसे आप इस्तेमाल करें क्योंकि यू.एस. के बारे में यह मशहूर है कि यदि आप उन्हें उंगली पकड़ने देंगे तो वह पौंचा पकड़ने के लिए तैयार हो जाएंगे। इसलिए पौंचा न कपड़ा जा सके, इसके लिए आप संसद का इस्तेमाल कीजिए।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

मैं मांग करता हूं कि इस संबंध में संसदीय मंच होना चाहिए

अध्यक्ष महोदय: आप संविधान (संशोधन) विधेयक लाए संसद इस विषय पर पिछले कुछ घंटों से चर्चा कर रही हैं।

[हिन्दी]

मोहम्मद सलीम: हमारे देश में भी कैपेबल लोग हैं, उनसे हम बात करें और हमने क्या दिया है और हमें बदले में क्या मिला है, यह भी हमें मालूम होना चाहिए।...*(व्यवधान)* आप प्रधानमंत्री जी और राज्य सभा के चेयरमैन से बात कर लीजिए। ...*(व्यवधान)* यह कोई लैफ्ट का मामला नहीं है।...*(व्यवधान)* यह डिप्लोमेटिक मामला भी नहीं है।...*(व्यवधान)* मैं समाप्त ही कर रहा हूं।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

महोदय, वक्तव्य में कहा गया है लोकतंत्र और अंतर्राष्ट्रीय चुनौतियों का सामना करने के लिए ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: संक्षिप्तता उत्तम है। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

डा. मनमोहन सिंह: महोदय, हम एक ऐसे विषय पर विचार कर रहे हैं जो हमारे देश के भविष्य के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। मैंने इस सम्माननीय सभा से वायदा किया था कि हम संसद के समक्ष आएंगे, संसद के साथ विचार-विमर्श करेंगे और संसद के माध्यम से परमाणु एवं अन्य संबंधित मुद्दों, जिन्हें राष्ट्रपति बुश की भारत यात्रा के बाद जारी संयुक्त वक्तव्य में प्रस्तुत किया जाएगा, के लाभ और अलाभ के दृष्टिकोण से विचार करते हुए आम जानता को विश्वास में लेंगे।

महोदय, मैंने तीन अवसरों पर इस सभा में और दूसरी सभा अर्थात् राज्य सभा में इस संबंध में वक्तव्य दिए हैं। यानि के पिछले वर्ष 29 जुलाई तथा इस वर्ष 27 फरवरी और 7 मार्च को इस संबंध में मैंने वक्तव्य दिए हैं। यह देश के अत्यंत संवेदनशील तथा महत्वपूर्ण विषय पर हमारी समुचित जवाबदेही तथा पारदर्शिता के प्रति वचनबद्धता का एक कदम है। मैंने भारत-अमरीका संबंधों के वृहत्तर संदर्भ में असैनिक परमाणु ऊर्जा पर अमरीका के साथ हुई चर्चाओं पर इस सम्माननीय सभा के माननीय सदस्यों के विचार ध्यानापूर्वक सुने हैं। मैं इस अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पर विचार व्यक्त करने के लिए उन्हें धन्यवाद देता हूं।

महोदय, श्री सी.के. चन्द्रप्पन और श्री रूपचन्द पाल ने एक महत्वपूर्ण टिप्पणी की थी उसमें उनके भय की झलक थी। उन्हें

आशंका इस बात की थी कि क्या हम अमरीका के साथ समझौता कर अपनी स्वतंत्र विदेशी नीति के केन्द्र बिंदु तथा दिशा के लक्ष्य से दूर तो नहीं जा रहे।

महोदय, मैंने एक नहीं अनेक बार कहा है कि हमारी विदेश नीति की जड़ें हमारी सांस्कृतिक विरासत में अंतर्निहित हैं और यह हमारे प्रबुध राष्ट्रीय हित के लक्ष्य में भी अंतर्निहित हैं जो विभिन्न देशों के साथ समझौते करने में हमारी पथ-प्रदर्शक है। अमरीका एक विश्व शक्ति है। कई अवसरों पर उसके हित भारत के हितों से मेल नहीं खाते हैं। परंतु ऐसे भी अवसर आए हैं जब उनके हित हमारे हितों से मेल खाते हैं और मैं मानता हूं कि ऐसे में भारत सरकार का कर्त्तव्य बनता है कि वह उन सभी अवसरों से लाभ उठाए जो हमें उपलब्ध होते हैं तथा जिनसे हमारे विकास के विकल्प व्यापक होते हैं। अमरीका के साथ समझौता करते हुए इसी बात को ध्यान में रखा गया है।

मैं सम्माननीय सभा को आश्वस्त करना चाहता हूं कि अमरीका के साथ अपने संबंधों को सुदृढ़ बनाते समय हम अपने पारम्परिक सामरिक सहयोगियों को नहीं भूले हैं। उदाहरण के लिए, आज रूस के साथ हमारे संबंध पहले से भी अधिक प्रगाढ़ और मजबूत हैं। यही बात फ्रांस के साथ हमरे संबंधों पर भी लागू होती है। आज चीन के साथ हमारे संबंध अधिक मजबूत और प्रगाढ़ हैं। यहां तक कि आज भी जब सभा की बैठक चल रही है, हमारे दो विशेष प्रतिनिधि सीमा संबंधी विवाद को हल करने संबंधी मुद्दों पर चर्चा कर रहे हैं। हमने उपलब्ध गुंजाइश का सदुपयोग किया है जिससे हमें दक्षिण-पूर्व एशिया के देशों, जापान तथा कोरिया के साथ व्यापार बढ़ाने में सहायता मिली है हमें इसी तरह प्रयास करने चाहिए।

मैं इस सम्माननीय सभा को आश्वस्त करना चाहता हूं कि भारत का प्रबुध हित ही हमारा प्रमुख सरोकार है और संयुक्त राज्य अमरीका के साथ बातचीत के दौरान इसी ने हमारा पथ-प्रदर्शन किया है।

निश्चित रूप से यह सच है कि हमने अमरीका के साथ जो समझौता किया है उसमें यद्यपि असैनिक परमाणु ऊर्जा एक महत्वपूर्ण घटक है, तथापि, अन्य महत्वपूर्ण कार्यों का भी संयुक्त वक्तव्य में उल्लेख किया गया है। कृषि के क्षेत्र में जानकारी संबंधी पहल का उल्लेख किया गया है। इसमें क्या शामिल है? इसके द्वारा हम अमरीका में उपलब्ध तकनीकी ज्ञान और अनुभव का उपयोग अपने देश में कृषि अनुसंधान और विस्तार सेवाओं की गुणवत्ता का, विशेषत: विभिन्न कृषि विश्वविद्यालयों और कृषि अनुसंधान संस्थानों के माध्यम से, उन्नयन कर पाएंगे। मेरी राय में इसके प्रति कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए।

वास्तव में हमारे देश में पहली हरित क्रांति में वस्तुत: नॉर्मन बॉरलोग जैसे महान अमरीकी वैज्ञानिक का अत्यंत महत्वपूर्ण योग रहा। अमरीका ने विशेष रूप से वहां के लैंड ग्रांट कालेज ने हमारे देश में प्रमुख कृषि विश्वविद्यालय स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभायी और इस प्रकार हमारे देश में हरित क्रांति आयी। पिछले कई वर्षों में हमारी कृषि उत्पादकता स्थिर होकर रह गई है। हमारे देश में आज दूसरी हरित क्रांति की आवश्यकता है तथा हमें अपना कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए तथा उसे प्रोन्नत करने के लिए नई प्रौद्योगिकियों की भी आवश्यकता है। ऐसे में यदि अमरीका के पास ऐसी जानकारी है जिससे हमें उन्नति की प्रक्रिया में सहायता मिल सकती है तो उसका उपयोग करने में मुझे कोई दोष दिखाई नहीं देता। वैश्वीकरण के इस युग में हमारे लिए अपने विकास संबंधी विकल्पों को बढ़ाने के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी में सहयोग लेना आवश्यक होता जा रहा है। यदि हम भारतीय कृषि में उत्पादकता की स्थिरता के प्रति गंभीर हैं तो हमें देखना होगा कि कहां-कहां ऐसी सुविधाएं अथवा प्रौद्योगिकी उपलब्ध है जिसके प्रयोग से तकनीकी कौशल का उन्नयन किया जा सकता है। मुझे नहीं लगता कि हम ऐसा कोई कार्य कर रहे हैं जिससे हमारे देश के हितों को क्षति पहुंचे।

सी.ई.ओ. बैठक के संबंध में भी उल्लेख किया गया है। यह सच है कि जब जुलाई में मैं राष्ट्रपति बुश से मिला था तो हमने भारत में विदेशी पूंजी की बढ़ती आवश्यकता पर चर्चा की थी। उन्होंने मुझसे कहा "हम सहायता प्रदान नहीं करते हैं परंतु हमारे यहां काफी निजी पूंजी है।" मैं यह कहना चाहूंगा कि अमरीका के प्रभावों का इस प्रकार से प्रयोग किया जाना चाहिए कि वह भारत को महत्वपूर्ण समझे और उसे इस पूंजी के मुख्य प्राप्तकर्त्ता के रूप में मान्यता दे। उन्होंने कहा "अमरीका के पांच लोगों तथा भारत के पांच लोगों का एक छोटा समूह बनाया जाना चाहिए। उन्हें एक ऐसी नीति बनाने दी जाए जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि दोनों देश निजी क्षेत्र में परस्पर लाभप्रद सहयोग की संभावनाओं के बारे में और अधिक जागरूक होंगे।"

वहां से एक रिपोर्ट आयी है। वह रिपोर्ट अब एक सार्वजनिक दस्तावेज है। उस रिपोर्ट को यथासमय तथा पटल पर रखने में मुझे कोई हिचकिचाहट नहीं है। इसमें अनेक सुझाव दिए गए हैं। हम उनकी जांच करेंगे। जो सुझाव दिए गए हैं यदि उन सुझावों में से किसी सुझाव को क्रियान्वित करने के लिए किसी कार्यवाही की आवश्यकता होगी तो देश में विद्यमान कानूनों और प्रक्रियाओं का पूरा लाभ उठाते हुए कार्यवाही की जाएगी। मुझे उस रिपोर्ट को सभा के समक्ष प्रस्तुत करने में कोई हिचकिचाहट नहीं है और मैं उसे सभा में प्रस्तुत करूंगा। उसमें दिए गए सुझावों में से कुछ सुझाव इस प्रकार हैं। उदाहरण के तौर पर एक सुझाव मुंबई को एक बड़ा अंतर्राष्ट्रीय वित्त केन्द्र बनाए जाने के बारे में है। मेरे

[डा. मनमोहन सिंह]

विचार से, मैंने स्वयं जब मैं भारतीय रिजर्व बैंक का गवर्नर था, 1980 के आरंभ में यह सुझाव दिया था। यह अभी तक वास्तविक रूप नहीं ले पाया है। मुझे विश्वास है कि अब इस प्रस्ताव में काफी वजन है, विशेषकर से जब हमने अधिकांश विनिमय नियंत्रण हटा लिए हैं और हमारी पूंजी की आवश्यकता दिन-प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। सी.ई.ओ. समूह की बैठक में तय सुझावों में से यह भी एक सुझाव है। हम अपने नियमों, प्रक्रियाओं और कानूनों के अनुसार उनकी जांच करेंगे। इसलिए, किसी को भी यह संदेह करने का कोई कारण नहीं होना चाहिए कि संसद को बिना बताए कोई ऐसा कार्य किया जाएगा जिससे देश के हितों को नुकसान होगा।

अध्यक्ष महोदय, अब मैं असैनिक परमाणु ऊर्जा सहयोग की बात करता हूं। हमने जो किया है उसकी पृष्ठभूमि क्या है? इस समय हमारी अर्थव्यवस्था की वार्षिक विकास दर 7 से 8 प्रतिशत है। हम चाहते हैं कि इस अर्थव्यवस्था की विकास दर 8 से 10 प्रतिशत सुनिश्चित हो सके। मुझे विश्वास है कि हमारे देश की बचत और निवेश के आंकड़े यह दर्शाते हैं कि 10 प्रतिशत विकास दर वास्तविक रूप में प्राप्त की जा सकेगी...*(व्यवधान)* लेकिन बचत अलग बात है जबकि ऊर्जा संबंधी सुरक्षा एक अन्य मुद्दा है। मैंने गणना की है और विशेषज्ञ सलाहकारों द्वारा इसकी पुष्टि भी की गई है कि हमारी अर्थव्यवस्था की विकास दर यदि एक प्रतिशत होती है तो हमें एक प्रतिशत अतिरिक्त वाणिज्यिक ऊर्जा की आपूर्ति करनी होगी। यदि अर्थव्यवस्था का 10 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से विकास होना है तो हमें अपनी वाणिज्यिक ऊर्जा को भी 10 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से बढ़ाना होगा।

आज अपनी वाणिज्यिक ऊर्जा की जरूरतों की पूर्ति के लिए हम मध्यपूर्व तथा पश्चिम एशिया से मिलने वाले हाइड्रोकार्बन पर बहुत अधिक निर्भर हैं। हम सामान्यत: 110 मिलियन टन तेल का उपयोग करते हैं जबकि हम 30 मिलियन टन से ज्यादा का उत्पादन नहीं करते। बाहरी दुनिया पर हमारी यह निर्भरता और बढ़ने वाली है। विश्व बाजार में हाइड्रोकार्बन की आपूर्ति तथा इसकी कीमतों, दोनों के संबंध में स्पष्ट तौर पर अनिश्चितता है जिसके बारे में मुझे अभी चर्चा नहीं करनी है।

वस्तुत:, हमारे पास कोयले के पर्याप्त भंडार हैं लेकिन हमारे कोयले में राख की मात्रा ज्यादा होती है और कोयले के अधिक उपयोग से अत्यधिक कार्बनडाइआक्साइड निकलने के कारण पर्यावरण संबंधी खतरों की समस्याओं का समाना करना पड़ा रहा है जिसके परिणाम-स्वरूप कार्बनडाइआक्साइड के उत्सर्जन और वैश्विक तापमान में वृद्धि चिन्ता का विषय बने हुए हैं। इस पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते हुए मैं समझता हूं कि यह हमारे हक में होगा कि वाणिज्यिक ऊर्जा की जरूरतों की पूर्ति के लिए हमारे पास अतिरिक्त विकल्प हों। परमाणु ऊर्जा हमें इस प्रकार का एक विकल्प देता है। यह ऊर्जा के सुरक्षित भंडार हेतु हमारे अन्वेषण संबंधी कार्य क्षेत्र को बढ़ाता है। परमाणु कार्यों में ऊर्जा के बढ़ते उपयोग के कारण समस्याएं हैं। लगभग 30 वर्ष पूर्व जब मैं वित्त मंत्रालय में सचिव था तो मैं परमाणु ऊर्जा आयोग का भी सदस्य था। उस समय परमाणु ऊर्जा आयोग ने देश के समक्ष 10,000 मेगावाट उत्पादन क्षमता का लक्ष्य रखा था। आज वर्ष 2006 है। हमारी स्थापित क्षमता संभवत: 3,000 मेगावाट की है। इसका कारण यह नहीं है कि हमारे वैज्ञानिक सक्षम नहीं हैं। ये अत्यंत उत्साहित हैं। उनकी जानकारी चरम पर है। उन्होंने परमाणु संबंधी मुद्दों पर विद्यमान भेदभाव की कठिन शर्तों के बावजूद अपने ज्ञान को सिद्ध किया है। हम उनकी उपलब्धियों पर गर्व करते हैं। लेकिन कुछ कड़वे सच भी हैं। कच्चे माल की प्राप्ति के मामले में हमारे सामने समस्या आ गई है क्योंकि 1974 के बाद से विश्व समुदाय के दबंग देशों ने एक संगठन बना लिया है जो हमारी परमाणु ऊर्जा की जरूरतों की पूर्ति के हमारे विकल्पों में बाधा बन रहा है चाहे वह रियक्टर हो या ईंधन या आदानों (इन्पुट) के संबंध में हो। इससे हमारे ऊर्जा संबंधी कार्यक्रमों को नुकसान हुआ है और यही कारण है कि चाहने के बावजूद हमने परमाणु क्षमता में जो विस्तार करना चाहा था वह नहीं कर पाये हैं।

मैं यह नहीं कर रहा हूं कि आयात ही एकमात्र रास्ता है। लेकिन आयात की सुविधा दिए जाने तथा परमाणु सामग्री तथा परमाणु प्रौद्योगिकी में व्यापार संबंधी हमारे विकल्पों अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रतिबंध को हटाए जाने, से ऊर्जा चुनौती का सामना करने के लिए हमारा देश कुशल प्रबंधन करने में सफल होगा। यही कारण है कि जब मैं और राष्ट्रपति बुश ने इस विषय पर चर्चा की तो उन्होंने मुझे कहा कि यह एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें भारत के प्रति अमरीका के दृष्टिकोण में अमूल चूल परितर्वन की जरूरत है। लेकिन उन्होंने मुझ से यह भी कहा कि अमेरिका और परमाणु आपूर्ति समूह के अन्य देश हमें परमाणु बम बनाने में मदद नहीं करने वाले हैं। मैंने कहा कि यह बिल्कुल तर्कसंगत है और मैं विश्व से ऐसी अपेक्षा भी नहीं करता। इसलिए, असैनिक क्षेत्र और सामरिक क्षेत्र को एक दूसरे से अलग करने का विचार सामने आया। हमने अमरीका के साथ सामरिक सहयोग की दिशा में कोई कार्य योजना नहीं बनायी है। यह मूलत: भारत की वाणिज्यिक ऊर्जा संबंधी जरूरतों की पूर्ति के लिए परमाणु सामग्री आपूर्ति समूह के सदस्यों और भारत के बीच सहयोग को बढ़ावा देने का प्रयास है

अपराह्न 4.00 बजे

मैं जिसे अपनी सरकार की उपलब्धि होने का दावा करता हूं कि वह यह है कि देश की वाणिज्यिक ऊर्जा संबंधी सभी जरूरतों की पूर्ति के लिए यह समझौता करते समय हमने अपने सामरिक

कार्यक्रमों की स्वायत्तता के संबंध में कोई समझौता नहीं किया है। अमरीका के साथ इस विषय पर कोई चर्चा नहीं हुई है। हमने ऐसे किसी फार्मूले या प्रस्ताव पर सहमति व्यक्त नहीं की है जो हमारे परमाणु कार्यक्रम में बाधा बने। हमने इस संबंध में पूरी सावधानी बरती है। हमने भारत की जरूरतों का आकलन करते समय अपने परमाणु वैज्ञानिकों और सशस्त्र सेनाओं से इस बारे में परामर्श किया है कि भारत के कार्यक्रम लिए अत्यंत न्यूनतम निवारक मात्रा कितनी हो सकती है। हमने यह सुनिश्चित किया है कि यथासंभव भारत की वर्तमान तथा भावी जरूरतों का ध्यान रखा जाए। इसलिए देश को आश्वस्त होना चाहिए कि भारत के सामरिक परमाणु कार्यक्रम के मामले में किसी तरह का समझौता नहीं किया गया है। हमने अपने परमाणु कार्यक्रम के बारे में किसी प्रकार की सीमा स्वीकार नहीं की है। अपने देश की सुरक्षा संबंधी चिंताओं को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय भारत सरकार को ही लेना होगा कि क्या वांछित है और क्या नहीं। इसके बारे में निर्णय लेने का अधिकार सिर्फ हमें है। यही अमरीका के साथ किए गए इस समझौते का सार है।

महोदय, परमाणु समझौते के संबंध में कई प्रकार के सवाल उठाए गए हैं। श्री खारबेल स्वाईं ने कहा कि हमने अपने सामरिक परमाणु क्षमता के लिए एक सीमा तय करना स्वीकार कर लिया है। मैं पहले ही बता चुका हूं कि ऐसी बात नहीं है। हमसे पूछा गया है कि क्या हमने अपने सामरिक कार्यक्रमों के लिए पर्याप्त विखंडनशील सामग्री और अन्य सामग्रियों की उपलब्धता सुनिश्चित की है। मैं इस सभा को पुनः आश्वासन देना चाहता हूं कि पृथक्करण की योजना इस तरह बनायी गयी है कि इससे सामरिक कार्यक्रम पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। भारत के लिए अपनी निवारक क्षमता पर किसी प्रकार की सीमा स्वीकार करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। खतरे की आशंका के आकलन के आधार पर सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि विखंडनशील सामग्री तथा अन्य सामग्री पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो जिससे हमारे सामरिक कार्यक्रम की वर्तमान तथा भावी जरूरतों को पूरा किया जा सके।

पृथक्करण योजना किसी भी रूप में हमारे परमाणु सिद्धांत को कमजोर नहीं करती। "पहले उपयोग न करने की नीति" पर आधारित इस सिद्धांत में एक विश्वसनीय न्यूनतम निवारक क्षमता का प्रावधान है तथा इसमें पहले हमला करने वाले शत्रु को अकल्पनीय क्षति पहुंचाने का आश्वासन भी दिया गया है। बढ़ते खतरे का सामना करने के लिए संयम और जिम्मेदारीपूर्वक उपयुक्त कदम उठाने की हमारी परमाणु नीति के कारण इस पृथक्करण योजना से हमारी वर्तमान तथा भावी विकल्प सीमित नहीं हांगे।

महोदय, सुरक्षा के मामले में भी सदैव ही सवाल उठते रहे हैं। मैं समझता हूं कि श्री स्वाईं इसी बात का उल्लेख कर रहे हैं और उन्होंने यह भी कहा कि अमरीका द्वारा आपूर्ति के संबंध में आश्वासन द्विपक्षीय दिया गया है जबकि अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के साथ रक्षापायों संबंधी आश्वासन बहुपक्षीय होगा। इसलिए, उन्होंने पूछा कि हमने कैसे समझौता कर लिया और कैसे सुनिश्चित कर लिया कि भारत के हित प्रभावी ढंग से सुरक्षित हैं। पिछले वर्ष जुलाई माह में दिए गए वक्तव्य के अंतर्गत भारत असैन्य और सैन्य सुविधाओं की पहचान करने तथा उनको अलग करने तथा असैनिक परमाणु सुविधाओं को रक्षोपायों के अंतर्गत रखने पर सहमत हो गया था। पृथक्ककरण योजना के तहत अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के साथ विशेषतः भारत संबंधी रक्षोपायों हेतु समझौता किए जाने का प्रावधान है।

लोग पूछते हैं कि भारत विशेष रक्षोपाय ही क्यों? क्योंकि यह निश्चित रूप से सत्य है कि हम एन.पी.टी. परमाणु शक्ति के सदस्य नहीं हैं इसलिए हम उन पी-5 में सम्मिलित नहीं हैं। लेकिन हम दूसरी श्रेणी अर्थात् हम गैर-परमाणु हथियार वाले देश में भी नहीं हैं। हमारा एक अपना परमाणु अस्त्र कार्यक्रम है और शेष विश्व इस सत्य से अवगत है। इसलिए, निश्चित रूप से यह सही है कि जब हम अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के साथ कोई समझौता करते हैं तो हमारे रक्षोपायों समझौते मॉडल-I या मॉडल-II की हूबहू प्रति नहीं हो सकते। हमारे द्वारा अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी से विचार-विमर्श करके किया जाने वाला समझौता बिल्कुल अलग तरह का रक्षोपाय समझौता होगा।

मैं सभा को आश्वासन देना चाहता हूं कि भारत एन.पी.टी. के अंतर्गत गैर-परमाणु हथियार वाले देशों द्वारा हस्ताक्षरित, अन्यथा व्यापक कहे जाने वाले समझौतों को स्वीकार नहीं करेगा। ऐसा इसलिए है कि हमारी सैन्य सुविधाएं अन्य परमाणु हथियार वाले देशों के रक्षोपाय के दायरे से बाहर रहेंगी। प्रत्येक परमाणु हथियार वाले देश ने अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी से अलग-अलग रक्षोपाय समझौते किए हैं जिसके तहत विभिन्न देशों के विभिन्न रक्षोपायों के लिए भिन्न-भिन्न प्रावधान किए गए हैं इसी प्रकार, हम भी विशेषतः अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी रक्षोपायों के लिए प्रदत्त सुविधाओं की सूची को भारत रक्षोपाय समझौते में सम्मिलित करेंगे।

महोदय, इस प्रकार का भारत विशेष रक्षोपाय समझौता अभी किया जाना है। इसके विषय-वस्तु और ब्यौरे के बारे में कहना अभी मुश्किल होगा। तथापि, इसमें किसी भी समय असैनिक उपयोग के लिए सुरक्षित परमाणु सामग्री वापस लिए जाने के विरुद्ध रक्षोपाय किए जाएंगे। इस प्रकार का समझौता किया जाएगा कि विदेशी ईंधन की आपूर्ति बाधित हो जाने की स्थिति में भी भारत अपने असैनिक परमाणु रिएक्टरों का निर्बाध प्रचालन सुनिश्चित करने हेतु उपचारात्मक कदम उठा सके।

[डा. मनमोहन सिंह]

महोदय, ईंधन आपूर्ति के मामले में मैं यह बताना चाहूंगा कि अमरीका ने ईंधन की निर्बाध आपूर्ति के बारे में भी कई आश्वासन दिए हैं। इससे ईंधन आपूर्ति बाधित होने की स्थिति में भारत द्वारा उपचारात्मक कदम उठाने के भारत के अधिकार के प्रति आश्वस्त हो जाना चाहिए। इन आश्वासनों के बावजूद भी यदि सभी उपाय असफल हो जाते हैं और हमारे सुरक्षित रिएक्टरों के लिए आपूर्ति बंद हो जाती है तो भारत के पास अपनी हितों की रखा के लिए उचित कदम उठाने का अधिकार होगा। इस प्रकार इन रक्षोपायों को निर्बाध आपूर्ति हेतु विश्वसनीय आश्वासनों से समर्थित संदर्भ में देखा जाना चाहिए।

तीसरा मुद्दा सी.आई.आर.यू.एस. और अप्सरा अनुसंधान रिएक्टरों के संबंध में सरकार द्वारा घोषित उपायों के बारे में है जो भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र में स्थित है। जैसा कि मैंने अपनी ओर से दिए पिछले वक्तव्य में कहा था कि हमने 2010 तक सी.आई.आर.यू.एस. रिएक्टर को स्थायी रूप से बंद करने तथा विदेशी स्रोत के ईंधन पर आधारित अप्सरा रिएक्टर को भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र से बाहर स्थानांतरित करने का निर्णय लिया है। सवाल पूछे जा रहे हैं कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। तत्पश्चात् ईंधन कोर वर्ष 2010 में रक्षोपायों के लिए उपलब्ध होगा। मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि केवल फ्यूल कोर को ही स्थानांतरित किया जाएगा न कि रिएक्टर को। हमने ये दोनों कदम उठाने का निर्णय लिया है क्योंकि भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र परिसर राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है और इस क्षेत्र में हम किसी भी प्रकार के अंतर्राष्ट्रीय निरीक्षण की अनुमति नहीं दे सकते। हालांकि, सी.आई.आर.यू.एस. रिएक्टर को हाल ही में साधंन सम्पन्न किया गया था लेकिन इसकी लागत, इसके द्वारा उत्पादित आइसोटोप्स और इसे बंद किए जाने से पूर्व किए जाने वाली अनुसंधान की उपलब्धि से अधिक होगी। चूंकि सी.आई.आर.यू.एस. और अप्सरा दोनों ही हमारे सामरिक कार्यक्रम से संबंधित नहीं हैं अत: हमारे वैज्ञानिकों ने मुझे विश्वास दिलाया है कि पृथक्करण योजना में घोषित किए गए इन प्रयासों का हमारे सामरिक कार्यक्रम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

कुछ सदस्यों ने यह चिंता जाहिर की है कि क्या इन प्रयासों से हमारे अनुसंधान तथा विकास कार्यों में बाधा उत्पन्न होगी। इस सम्माननीय सभा के माध्यम से मैं राष्ट्र को तथा विशेष रूप से वैज्ञानिक समुदाय को यह भरोसा दिलाता हूं कि हम ऐसे सभी संभव उपाय करेंगे जिनसे अनुसंधान और विकास पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। हमारे वैज्ञानिकों को ज्ञान का विस्तार करने के लिए आधुनिकतम सुविधाएं मिलें। अनुसंधान और विकास कार्यक्रम की रक्षोपाय और स्वायत्तता प्रदान करने का हमारा दृढ़ निश्चय हमारी पृथक्करण योजना तैयार करने का प्रमुख आधार रहा है। इससे पूर्ण रूप से सुनिश्चित किया जाएगा।

अंत में, कुछ सदस्यों ने इस बात पर भी चिंता व्यक्त की है कि अमरीका से वार्ता के दौरान सामरिक कार्यक्रम के बारे में पूरी गोपनीयता रखी गई है या नहीं। मैं माननीय सदस्यों को यह भरोसा दिलाता हूं कि अमरीका के साथ हमारा विचार-विमर्श उन्हीं सुविधाओं से संबंधित है जिनकी 2006 से 2014 के बीच रक्षोपायों के लिए पेशकश की जा रही है। हमारी बातचीत में सामरिक कार्यक्रम के मुद्दे पर कोई चर्चा नहीं हुई। हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा तथा सामरिक कार्यक्रम के संबंध में गोपनीय सूचना पूरी तरह सुरक्षित रही है और रहेगी।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे विश्वास है कि सभा की यह भावना है कि हमने जो निर्णय लिया है उससे अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की फिर से शुरूआत होगी। हमारी परस्पर समझ-बूझ से न केवल अमरीका के साथ बल्कि हमारे अन्य महत्वपूर्ण साझेदारों यथा रूस, ब्रिटेन और फ्रांस के साथ भी हमारे असैन्य नाभिकीय ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग और विकास के द्वार खुलेंगे। इसके साथ ही हम असैन्य नाभिकीय प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अपनी अन्य क्षमताओं का भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आदान-प्रदान कर सकेंगे। इस संदर्भ में कुछ सदस्यों ने विश्व नाभिकीय ऊर्जा साझेदारी का उल्लेख किया है किन्तु यह अमरीका के साथ असैन्य नाभिकीय सहयोग के बारे में द्विपक्षीय वार्ता से भिन्न विषय है। इस संदर्भ में नाभिकीय ईंधन चक्र के समस्त पहलुओं पर हमारी व्यापक क्षमताएं और विशेषज्ञता सुस्थापित है और इसे व्यापक स्तर पर मान्यता मिली हुई है। अत: ऐसी किसी अंतर्राष्ट्रीय पहल में हमारा संभावित संबंध, अन्य प्रवर्तक सदस्यों के साथ भारत की बराबरी के साझेदार के रूप में और एक आपूर्तिकर्ता राष्ट्र के रूप में भागीदारी के आधार पर ही हो सकता है। मैं इसी बात पर जोर देना चाहता हूं। हम अपने तीन स्तरीय कार्यक्रमों को नहीं छोड़ेंगे जिससे हम भविष्य में अपने थोरियम के विशाल भंडारों का उपयोग कर सकेंगे।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा विश्वास है कि मैंने चर्चा में उठाए गए अधिकांश मुद्दों का उत्तर दे दिया है, और मैं दोहराता हूं कि जो भी हमने किया है उसका उद्देश्य ऊर्जा का पर्याप्त सुरक्षित भंडार सुनिश्चित करने की दृष्टि से अपने विकास के विकल्पों को विस्तृत करना है। इसके साथ ही हमने इस बात का पूरा ध्यान रखा है कि हमारे सामरिक कार्यक्रम की सुरक्षा की जा सके। हमने यह भी ध्यान रखा है कि इस समझौते से ऐसे महत्वपूर्ण क्षेत्र में जारी अनुसंधान और विकास पर किसी भी प्रकार का प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। मेरा मानना है कि हमने जो भी किया है वह अपने देश को प्रगति तथा विकास के पथ पर तेजी से आगे बढ़ाने का एक और कदम है।